न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 421 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 421

मालाराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र, जाति ब्राहम्ण व्यास, निवासी तलवाड़ाझील, तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र श्री महावीर, जाति ब्राह्म्ण निवासी हाल सुरजनसर, तहीसल नोहर, जिला हनुमानगढ।
2. वाचस्पति पुत्र महावीर प्रसार, जाति ब्राह्ण व्यास, निवासी नोहर, तहसल नोहर जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

3. बाबूलाल पुत्र स्व0 रामचंद्र जाति ब्राह्मण निवासी तलवाड़ा झील, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश दिनांक 08.06.2018

द्वारा सहायक कलक्टर नोहर।

प्रकरण संख्या 90 / 217, अनवान किशनलाल बनाम मालाराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः—

श्री राजपाल झोरड़ अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री सन्तलाल तिवाड़ी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2

श्री रविकुमार गोदारा, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3

निर्णय दिनांक 6.7.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के ख. नं. 387/2 तादादी 5.8190 है0 कृषि भूमि सायलान के पिता श्री महावीर प्रसाद के कब्जा काश्त की भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त वर्णित आराजी सायलान के पिता श्री महावीर प्रसाद के कब्जा काश्त की कृषि भूमि है किन्तु राजस्व रिकार्ड मं आराजी राज दर्ज थी जो सायलान के पिता महावीर प्रसाद को अलॉट फरमाई गई, जबकि अपीलांट/गैरसायलान के पिता रामचन्द्र पुत्र दीपा जाति ब्राह्मण के नाम उपरोक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि रोही मौजा सुरजनसर तहसील नोहर के ख. नं. 387/2 तादादी 5.8191 है. कृषि भूमि अपीलाण्ट/गैरसायलान के पिता रामचन्द्र पुत्र दीपाराम के नाम अलाटमेंट करवा दिया जो रामचंद पुत्र दीपाराम के नाम दर्ज हो गई। श्री रामचन्द्र ने कभी भी काश्त नहीं की। गैरसायल के पिता रामचन्द्र सदामत से तलवाड़ा झील में निवास करते थे। कभी भी गांव सुरजनसर तहसल नोहर में निवास नहीं किया। रामचन्द्र के फौत होने के बाद प्रश्नगत भूमि रेस्पोडोण्ट सं0 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई। रेस्पेडेण्ट वादग्रस्त भूमि पर जबरिया कब्जा करने व भूमि को रहन बैय करने की ऐलानिया धमकी दे रहे ह। यदि गैरसायलान सं0 1 व 2 अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर गैरसायल का कब्जा 60 वर्षो से चला आ रहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

जारी करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट के पिता रामचंद पुत्र दीपाराम के नाम से दिनांक 18.08.69 को अलॉटमेंट उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा की गई थी जिसका आवंटन आदेश संलग्न अपील मीमो से स्पष्ट है। आवंटन की दिनांक से ही आज तक अपीलांट का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट का किसी तरह का हित व अधिकार नहीं है। कब्जा के संबंध में जमाबंदी खेवट खतौनी 18.08.68 व 24.10.77 से सम्वत 2070 से 2073 संलग्न हैं। प्रश्नगत भूमि आवंटनशुदा है जिसकी रकम खजानाराज में अपीलण्ट के पिता के द्वारा समय समय पर जमा करवाई गई है। रेस्पोडेण्ट का कभी भी प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। वर्णित आरजी अपीलांट के पिता से अपीलांट को विरासतन मालाराम, बाबूलाल पुत्र रामचंद को विरास्तन प्राप्त हुई है जिस पर रेस्पोडेंट का किसी प्रकार से हक व अधिकार नहीं है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था क्यों कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई। इसलिए अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे। प्रश्नगत अधीनस्थ न्यायालय ने आधा–अधूरा व अपूर्ण व बिना कोई विवेचन व विश्लेषण के आधार पर यह आदेश पारित किया है जो खारिज किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का पहले से ही ज्ञान रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था जिसकी प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ अपील में पेश की है। उक्त मूल दावा में अपीलाण्ट उपस्थित रहा है। इस प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट को ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है तथा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि होने एवं अपील के निस्तारण में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जाता है।

7. अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। जबकि रेस्पोडेण्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पार्थना–पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल दावा नं. 373/2017 अनान किसन लाल बनाम माला आदि की फर्द अहकाम प्रस्तुंत हुई है, जिसमें अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द किशोर जोशी ने दिनांक 12.02.2020 को अपीलांट का वकालतनामा पेश किया था तभी से अपीलाण्ट एवं उसके अधिवक्ता को निषेधाज्ञा के आदेश का ज्ञान था। धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र मूल दावा का ही पार्ट होता है। इसलिए अपीलाण्ट यह अवलम्ब नहीं ले सकता कि उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.2018 को पारित किया गया एवं यह अपील 15.12.2022 को लगभग 4 वर्ष वाद पेश की गई है। इतने विलम्ब से अपील पेश करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.7.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/22

(करतारसिंह पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★